उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1203/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(18)-2008

दिनांक: 17 अप्रैल, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 15 अप्रैल, 2008 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची-एक में कम संख्या 51 की प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थातः-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
52.	तीन सौ रूपये अथवा उससे कम के अधिकतम फुटकर मूल्य (MRP) के फुटवियर किन्तु इसमें मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर; हवाई चप्पल एवं इनके स्ट्रैप सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, कम संख्या 83 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थातः-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
83	मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर; हवाई चप्पल एवं इनके स्ट्रैप ।

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)

प्रमुख सचिव